



खण्ड IV ♦ अंक 12

जून 2008

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

नीति

कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008

वित्त मंत्री ने वर्ष 2008-2009 की बजट घोषणा में, किसानों के लिए एक ऋण माफी और ऋण राहत योजना की घोषणा की थी। यह योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी ऋण संस्थाओं (शहरी सहकारी बैंकों सहित) और स्थानीय क्षेत्र बैंकों द्वारा सीमांत और छोटे किसानों और अन्य किसानों को दिए गए प्रत्यक्ष कृषि ऋणों को शामिल करती है। यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

परिभाषाएं

प्रत्यक्ष कृषि ऋण का अर्थ है कृषिगत उद्देश्यों के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से दिए गए अल्पावधि उत्पादन ऋण और निवेश ऋण। इसमें व्यक्तिगत किसानों के समूहों (उदाहरणार्थ स्व-सहायता समूहों और संयुक्त देयता समूहों) को प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराए गए ऋण भी शामिल होंगे बशर्ते बैंक उस समूह के प्रत्येक किसान को दिए गए ऋण के विभिन्न आंकड़े रखें।

अल्पावधि उत्पादन ऋण का अर्थ है फसल उगाने के संबंध में दिया गया ऋण, जिसका 18 महीने के अंदर पुनर्भुगतान किया जाना है। इसमें पारंपरिक और गैर-पारंपरिक बागानों और बागवानी के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए का कार्यशील पूंजी ऋण शामिल होगा।

निवेश ऋण का अर्थ है (क) खराब हो रही आस्तियों के प्रतिस्थापन और रखरखाव से संबंधित व्ययों को पूरा करने के लिए और भूमि की उपज बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए पूंजी निवेश, उदाहरणार्थ कुओं की गहरा करना, नए कुओं की खुदाई, पंप सेट की स्थापना, ट्रैक्टर / बैलों की खरीद, भूमि विकास तथा पारंपरिक और गैर-पारंपरिक बागानों और बागवानी के लिए मीयादी ऋण, और (ख) कृषि से संबंधित कार्यकलापों उदाहरणार्थ दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, ग्रीन हाउस और बायो गैस के संबंध में आस्तियां अर्जित करने के लिए दिया गया संबद्ध कार्यकलापों के लिए निवेश ऋण।

सहकारी ऋण संस्था का अर्थ है, एक सहकारी समिति जो (i) किसानों को अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराती है और केन्द्र सरकार से ब्याज सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है: अथवा (ii) रिजर्व बैंक अथवा नाबार्ड द्वारा विनियमित अथवा पर्यवेक्षित बैंकिंग कार्यकलाप करती है; अथवा (iii) किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे अथवा दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे का भाग है।

सीमांत किसान का अर्थ है 1 हेक्टेयर (2.5 एकड़) तक की कृषि भूमि में फसल उगाने वाला (स्वामी अथवा काश्तकार अथवा बंटाईदार के रूप में) किसान।

छोटा किसान का अर्थ है 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर (5 एकड़) तक की कृषि भूमि में फसल उगाने वाला (स्वामी अथवा काश्तकार अथवा बंटाईदार के रूप में) किसान।

अन्य किसान का अर्थ है 2 हेक्टेयर से अधिक (5 एकड़ से अधिक) कृषि भूमि में फसल उगाने वाला (स्वामी अथवा काश्तकार अथवा बंटाईदार के रूप में) किसान।

स्पष्टीकरण - इस योजना के अंतर्गत, उपर्युक्त भूमि जोत मानदंड के अनुसार, पात्र किसानों का वर्गीकरण, स्वामित्व अथवा कब्जे में बाद में हुए किसी भी परिवर्तन पर ध्यान दिए बिना, ऋण संस्वीकृत करते समय, किसान के एकल अथवा संयुक्त रूप से (स्वामी-किसान के मामले में) स्वामित्व वाली कुल भूमि अथवा किसान द्वारा फसल उगाई जाने वाली (काश्तकार अथवा बंटाईदार के रूप में) कुल भूमि पर आधारित होगा।

एक से अधिक किसानों द्वारा अपनी भूमि जोतों को इकट्ठा करके लिए गए ऋण के मामले में, उस समूह में सभी किसानों सीमांत किसान अथवा छोटा किसान अथवा अन्य किसान के रूप में वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए इकट्ठी की गई भूमि जोतों के कुल आकार को ध्यान में रखा जाएगा।

विषय सूची

नीति	पृष्ठ
कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008	1
रिपो दर में वृद्धि	3
बैंकों / प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं	3
फेमा	
बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति में आशोधन	3
सेवा क्षेत्र को बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्त करने की अनुमति	3
निर्यात प्राप्तियों की वसूली / प्रत्यावर्तन	3
बीमा कंपनियों द्वारा निपटाए गए दावों को बड़े खाते डालना	3
अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों में जमा	3
शहरी सहकारी बैंक	
शाखा लाइसेंसकरण संबंधी मानदंडों का उदारीकरण	3
कार्य-स्थल पर एटीएम लगवाना	4
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी	
जमा राशियां स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियों की अपेक्षा	4
ग्राहक सेवा	
दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधाएं	4

भूमि जोत, यदि कोई हो, के आकार पर ध्यान दिए बिना, ऐसे मामले में जहाँ किसी किसान ने संबद्ध कार्यक्रमों के लिए निवेश ऋण लिया है जिसमें मूल ऋण राशि 50,000 रुपए से अधिक नहीं है, उस मामले में उस किसानों को छोटे और सीमांत किसान के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और जिससे मूल राशि 50,000 रुपए से अधिक है, उसे अन्य किसान के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

किसी किसान द्वारा लिया गया अल्पावधि उत्पादन ऋण और निवेश ऋण दो भिन्न ऋण माने जाएंगे और यह योजना दोनों ऋणों पर अलग-अलग लागू होगी। इसी प्रकार, ऐसे मामले में, जहाँ, किसी किसान ने दो अलग-अलग उद्देश्यों के लिए दो निवेश ऋण लिए हैं, इस मामले में दोनों ऋण दो अलग-अलग ऋण माने जाएंगे और यह योजना दोनों ऋणों पर अलग-अलग लागू होगा।

पात्र राशि

अल्पावधि उत्पादन ऋण के मामले में ऐसे ऋण (लागू ब्याज सहित) की राशि जो:

- * 31 मार्च 2007 तक संवितरित, 31 दिसंबर 2007 तक बकाया और 29 फरवरी 2008 तक जिसकी वापसी अदायगी नहीं की गई है।
- * केंद्र सरकार द्वारा घोषित, विशेष पैकेजों के जरिए वर्ष 2004 और 2006 में बैंकों द्वारा पुनर्गठित और पुनर्निर्धारित किए गए बकाया अथवा नहीं।
- * प्राकृतिक आपदाओं के कारण, रिजर्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य तौर पर, 31 मार्च 2007 तक पुनर्गठित और पुनर्निर्धारित किए गए बकाया अथवा नहीं।

निवेश ऋण के मामले में ऐसे ऋण की किस्तें जो बकाया हैं (ऐसी किस्तों पर लागू ब्याज सहित), यदि ऋण -

- * 31 मार्च 2007 तक संवितरित तथा 31 दिसंबर 2007 तक बकाया और जिसकी 29 फरवरी 2008 तक वापसी अदायगी नहीं की गई है।
- * केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेजों के जरिए वर्ष 2004 और 2006 में बैंकों द्वारा पुनर्गठित और पुनर्निर्धारित किए गए थे।
- * प्राकृतिक आपदाओं के कारण, रिजर्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, सामान्य तौर पर 31 मार्च 2007 तक पुनर्गठित और पुनर्निर्धारित किए गए थे।

किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत लिया गया प्रत्यक्ष कृषि ऋण भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : 31 मार्च 2007 तक संवितरित और गैर-निष्पादनकारी आस्ति अथवा वाद दायर खाते के रूप में वर्गीकृत निवेश ऋण के मामले में केवल वे किस्तें जो 31 दिसंबर 2007 की स्थिति के अनुसार बकाया थीं, पात्र राशि होगी।

पात्र राशि में निम्नलिखित ऋण शामिल नहीं किए जाएंगे:

- (क) खड़ी हुई फसल के अलावा कृषि उत्पाद को गिरवी रखने अथवा दृष्टिबंधित करने पर अग्रिम।
- (ख) कारपोरेटों, भागीदारी फर्मों, सहकारी ऋण संस्थाओं के अलावा समितियों और इसी तरह की संस्थाओं को कृषि वित्त।

इस योजना में निहित कोई भी बात 31 मार्च 1997 से पहले किसी ऋणदात्री संस्था द्वारा संवितरित किसी भी ऋण पर लागू नहीं होगी।

ऋण माफी

छोटे और सीमांत किसान के मामले में, संपूर्ण पात्र राशि माफ कर दी जाएगी। वे नए कृषि ऋणों के लिए पात्र होंगे।

ऋण राहत

अन्य किसानों के मामले में, एकबारगी निपटान (ओटीएस) योजना होगी जिसके अंतर्गत किसान पात्र राशि के 75 प्रतिशत के शेष का भुगतान कर देता है तो उसे पात्र राशि के 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

ओटीएस राहत के लिए पात्र अन्य किसान के रूप में वर्गीकृत किसान यह वचन देते हुए एक शपथ पत्र देगा कि वह अपने हिस्से (अर्थात् पात्र राशि से ओटीएस राहत राशि को घटाकर) को न्यूनतम तीन किस्तों में चुका देगा और प्रथम दो किस्तें उसके हिस्से की न्यूनतम एक तिहाई राशि के लिए होंगी। किसान द्वारा अपने हिस्से का पूरा भुगतान करने पर एकबारगी निपटान योजना (ओटीएस) राहत की राशि (अर्थात् केंद्रीय सरकार का हिस्सा) अन्य किसान के खाते में जमा कर दी जाएगी।

अल्पावधि उत्पादन ऋण के मामले में अन्य किसान अपने हिस्से के एक-तिहाई भाग का भुगतान करने पर एक नए अल्पावधि उत्पादन ऋण के लिए पात्र हो जाएंगे।

निवेश ऋण (प्रत्यक्ष कृषि क्रियाकलापों या संबद्ध क्रियाकलापों के लिए) के मामले में अन्य किसान अपने पूरे हिस्से का भुगतान करने पर नए निवेश ऋण के लिए पात्र हो जाएंगे।

कार्यान्वयन

इस योजना के तहत शामिल किए गए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी ऋण संस्थान, शहरी सहकारी बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक की प्रत्येक शाखा दो सूचियाँ तैयार करेगी, जिनमें से पहली सूची में छोटे और सीमांत किसान जो ऋण माफी के लिए पात्र हैं और दूसरी सूची में अन्य किसान जो ऋण राहत के पात्र हैं, शामिल होंगे। इन सूचियों में प्रत्येक मामले में भूमि जोत, पात्र राशि और प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित ऋण माफी अथवा ऋण राहत की राशि का ब्यौरा शामिल होगा। ये सूचियाँ 30 जून 2008 को या उससे पहले बैंक/संस्था की शाखा के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाए। कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना का कार्यान्वयन 30 जून 2008 तक पूरा किया जाना चाहिए।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों के संबंध में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए रिजर्व बैंक नोडल एजेंसी होगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं के संबंध में नोडल एजेंसी नाबार्ड होगी।

ब्याज/अन्य प्रभार

ऋणदात्री संस्थाएं 29 फरवरी 2008 के बाद की अवधि के लिए पात्र राशि पर कोई ब्याज नहीं लगाएंगी। तथापि, अन्य किसान के मामले में यदि वह 30 जून 2009 को या उससे पहले पात्र राशि के अपने हिस्से का भुगतान करने में चूक करता है और एकबारगी निपटान राहत के लिए अपात्र हो जाता है, तो बैंक 30 जून 2009 के बाद की अवधि के लिए ब्याज ले सकता है।

निवेश ऋण की किस्तें, जो 12 दिसंबर 2007 के बाद बकाया हो जाती हैं, लागू ब्याज सहित ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा वसूल की जाएंगी। तथापि, ऋणदात्री संस्थाएं, उचित मामलों में, संबंधित ऋणदात्री संस्था की सामान्य नीति के अनुसार इन किस्तों को पुनर्निर्धारित कर सकती हैं।

इस योजना में निहित किसी बात के होते हुए भी, किसी ऋणदात्री संस्था द्वारा इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने प्रतिपूर्ति के रूप में दावा की गई ब्याज राशि, किसी भी मामले में, ऋण की मूल राशि से अधिक नहीं होगी।

प्रचार

इस योजना की एक प्रति अंग्रेजी और संघ की राजभाषा अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की भाषाओं में, इस योजना के अंतर्गत शामिल की गई प्रत्येक ऋणदात्री संस्था की प्रत्येक शाखा में प्रदर्शित की जानी चाहिए।

प्रत्येक ऋणदात्री संस्था द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए एक अथवा अधिक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और पता ऋणदात्री संस्था की प्रत्येक शाखा में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

रिपो दर में वृद्धि

मौजूदा समष्टि आर्थिक और समग्र मौद्रिक परिस्थितियों तथा मुद्रास्फूर्ति प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत निर्धारित रिपो दर को 12 जून 2008 से 25 आधार बिंदु से बढ़ाते हुए 7.75 प्रतिशत से 8.00 प्रतिशत किया गया है।

बैंकों / प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं

चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत निर्धारित रिपो दर में 8.00 प्रतिशत का संशोधन करने के फलस्वरूप बैंकों (निर्यात ऋण पुनर्वित्त) और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) (संपार्श्विक चलनिधि सहायता) को रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्थायी चलनिधि सुविधाएं 12 जून 2008 से रिपो दर अर्थात् 8.00 प्रतिशत पर उपलब्ध होंगी।

फेमा

बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति में आशोधन

समीक्षा के आधार पर बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति में कुछ पहलुओं को आशोधित किया गया है। आशोधन निम्नानुसार है -

- मूलभूत सुविधा क्षेत्र के उधारकर्ता अब अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत अनुमत अंतिम उपयोग के लिए रुपया व्यय के लिए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्त कर सकते हैं।
- अन्य उधारकर्ताओं के मामले में, अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत अनुमत अंतिम उपयोग के लिए रुपया व्यय हेतु 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 50 मिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया गया है।

इससे पूर्व, अनुमोदन मार्ग से अनुमत अंतिम उपयोग के लिए रुपया व्यय हेतु 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्त करने का प्रस्ताव करनेवाले उधारकर्ताओं को रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होता था।

बाह्य वाणिज्यिक उधार की समग्र लागत सीमा को निम्नानुसार आशोधित किया गया है -

औसत परिपक्वता अवधि	6 महीने के एलआइबीओआर पर समग्र लागत सीमा* वर्तमान	आशोधित
तीन वर्ष और पांच वर्ष तक	150 आधार बिन्दु	200 आधार बिन्दु
5 वर्ष से अधिक	250 आधार बिन्दु	350 आधार बिन्दु

* उधारी अथवा लागू बेंचमार्क के संबद्ध मुद्रा के लिए

उक्त परिवर्तन स्वतः अनुमादित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार पर लागू होंगे।

बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशानिर्देशों का यह संशोधन 29 मई 2008 से लागू होगा। बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अन्य सभी पहलू जैसे स्वचालित मार्ग के अंतर्गत प्रति वर्ष प्रति कंपनी की सीमा 500 मिलियन अमरीकी डॉलर, पात्र उधारकर्ता, प्रतिष्ठित ऋणदाता, पूंजीगत माल के आयात और समुद्रपारिय निवेशों के लिए विदेशी मुद्रा व्यय का अंतिम उपयोग, औसत परिपक्वता अवधि, पूर्व-भुगतान, मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार को पुनर्वित्त प्रदान करना और रिपोर्ट करने की व्यवस्थाएं अपरिवर्तित रहेंगी।

सेवा क्षेत्र को बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्त करने की अनुमति

भारत सरकार से परामर्श करके यह निर्णय लिया गया है कि सेवा क्षेत्र की संस्थाएं जैसे - हॉटेल, अस्पताल और सॉफ्टवेयर कंपनियों को अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत पूंजीगत माल का आयात करने के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्त करने की अनुमति दी गयी है।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि पूंजीगत माल के आयात के लिए 3 वर्षों से कम अवधि हेतु प्रति आयात लेन-देन 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक व्यापार ऋण प्राप्त करने के लिए सेवा क्षेत्र की कंपनियों सहित अन्य कंपनियों को दी गयी अनुमति पर मौजूदा दिशा-निर्देश जारी रहेंगे।

बाह्य वाणिज्यिक उधार के दिशा-निर्देशों का उक्त संशोधन 2 जून 2008 से लागू होगा।

निर्यात प्राप्तियों की वसूली / प्रत्यावर्तन

निर्यात किए गए माल / सॉफ्टवेयर के संपूर्ण निर्यात मूल्य की राशि की भारत में वसूली और प्रत्यावर्तन की अवधि को निर्यात करने की तारीख से छह महीने से बढ़ाकर बारह महीने किया गया है बशर्ते एक वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से विशेष आर्थिक जोन (एसइजेड) में स्थित इकाई द्वारा निर्यात किए गए माल अथवा सॉफ्टवेयर तथा भारत के बाहर स्थित गोदामों को किए गए निर्यातों के संपूर्ण निर्यात मूल्य की राशि की भारत में वसूली और प्रत्यावर्तन से संबंधित प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

बीमा कंपनियों द्वारा निपटाए गए दावों को बट्टे खाते डालना

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अब निर्यात ऋण गारंटी निगम (इसीजीसी) द्वारा किए गए दावों के निपटान के अलावा बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) द्वारा नियंत्रित की जानेवाली अन्य बीमा कंपनियों द्वारा बकाया निर्यात बिलों के निपटानों को बट्टे खाते डालने की अनुमति दी गयी है।

तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अब से निर्यातक से प्राप्त किसी आवेदन को जो इसीजीसी / बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) के पास पंजीकृत बीमा कंपनियों से प्रलेखी साक्ष्य के साथ हो और यह पुष्टि की गयी हो कि बकाया निर्यात बिलों के संबंध में दावों का निपटान किया गया है और यह कि निर्यात प्रोत्साहन, यदि कोई है, सौंप दिया गया है तो संबंधित निर्यात बिलों को बट्टे खाते डाला जाए और उसे एक्स ओ एस विवरण से हटा दिया जाए। ऐसे बट्टे खाते डालने पर सितंबर 2000 के रिजर्व बैंक के परिपत्र में दर्शाये गए 10 प्रतिशत की सीमा का प्रतिबंध नहीं होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इसीजीसी / बीमा कंपनियों द्वारा रुपये में दावों का निपटान को विदेशी मुद्रा में निर्यात उगाही के रूप में नहीं लेना चाहिए और दावे की राशि को विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों में जमा

उदारीकरण के उपाय के रूप में और साथ ही अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरइ) खाता धारकों की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों और प्राधिकृत बैंकों को अनिवासी भारतीय खाता धारक के एनआरइ खाते में विदेशी मुद्रा के नकदीकरण के लिए जारी डिमांड ड्राफ्ट / बैंकों के चेकों की आय को जमा करने की अनुमति दी गयी है जहाँ एनआरइ खाता धारक को जारी लिखत को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I/श्रेणी II द्वारा जारी नकदीकरण प्रमाण-पत्र द्वारा समर्थित किया गया हो।

शहरी सहकारी बैंक

शाखा लाइसेंसिकरण संबंधी मानदंडों का उदारीकरण

यह निर्णय लिया गया है कि रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके राज्यों के तथा बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत सुव्यवस्थित तथा वित्तीय रूप से सुदृढ़ प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए शाखा लाइसेंसिकरण संबंधी मानदंडों को उदार एवं युक्तियुक्त बनाया जाए।

तदनुसार, ऐसे शहरी शाखा विस्तार सहित ऑफ-साइट ए टी एम के लिए अनुमोदन पर आगे से उनकी वार्षिक व्यवसाय योजना के आधार पर विचार किया जाएगा बशर्ते:

- * सतत आधार पर न्यूनतम 10 प्रतिशत जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) तथा जिस केंद्र पर शाखा प्रस्तावित है उस केंद्र के लिए अपेक्षित प्रवेश बिंदु पूंजी संबंधी मानदंड के अनुरूप न्यूनतम स्वाधिकृत निधियां बनायी रखी जाएं।
- * निवल अनर्जक आस्तियां 10 प्रतिशत से कम हों।
- * पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) /सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने में कोई चूक न हुई हो।
- * ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निवल लाभ।
- * अन्य बातों के साथ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों तथा समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / निदेशों के अनुपालन के पिछले कार्यनिष्पादन के आधार पर विनियामक संतुष्टि।

उक्त मानदंडों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंक अपने मौजूदा परिचालन क्षेत्र में शाखाएं/विस्तार पटल खोलने, पूर्ण शाखाओं के रूप में विस्तार पटलों के स्तरोन्नयन, नए ऑफ-साइट एटीएम लगवाने के लिए अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अगले 12 महीनों के लिए वार्षिक व्यवसाय योजना तैयार कर सकते हैं और उसकी दो प्रतियां रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक व्यवसाय योजना (ए बी पी) रिजर्व बैंक को अधिमानतः सितंबर 2008 तक प्रस्तुत कर दी जाए। वर्ष 2009-10 और उसके आगे वार्षिक व्यवसाय योजना अधिमानतः विगत वित्तीय वर्ष के दिसंबर माह के अंत तक प्रस्तुत कर दी जाए।

कार्य-स्थल पर एटीएम लगवाना

कार्य-स्थल पर एटीएम खोलने के लिए पात्रता मानदण्डों को उदारीकृत करते हुए रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सु-प्रबंधित और वित्तीय रूप से अर्थक्षम शहरी सहकारी बैंक जो ऐसे राज्यों में पंजीकृत किए गए हैं जिन्होंने रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं अथवा बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकृत हैं और ग्रेड III और IV से इतर ग्रेडों में वर्गीकृत हैं वे अब रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना कार्य-स्थल पर एटीएम लगा सकते हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी

जमाराशियाँ स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियों की अपेक्षा

जमाराशियाँ स्वीकार करने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधियाँ (एनओएफ) न्यूनतम 200 लाख रुपए तक धीरे-धीरे, बिना रुकावट एवं अविभेदी तौर पर बढ़ा कर उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने को सुनिश्चित करने के लिए निम्नवत निर्धारण करने का निर्णय लिया गया है कि -

- (क) 200 लाख रुपए से कम की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपने द्वारा धारित जमाराशियों को, पहले तो मौजूदा स्तर पर रोक दें।

(ख) न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग एवं 12 प्रतिशत जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) वाली परिसंपत्ति वित्त कंपनियाँ जनता की जमाराशियों को घटाकर अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के डेढ़ गुने तक ले आएँ जबकि अन्य कंपनियाँ जनता की जमाराशियों को घटाकर 31 मार्च 2009 को उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों के स्तर के बराबर ले आएँ।

(ग) ऐसी कंपनियाँ जो वर्तमान में कतिपय स्तर तक जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करने की पात्र हैं किन्तु जिन्होंने, किन्हीं कारणों से, उस स्तर तक जमाराशियाँ स्वीकार नहीं की हैं, उन्हें ऊपर विनिर्दिष्ट संशोधित सीमा तक जनता से राशियाँ स्वीकार करने की अनुमति होगी।

(घ) 200 लाख रुपए की निवल स्वाधिकृत निधियों का स्तर प्राप्त करने पर कंपनियाँ उन्हें प्रमाणित करने वाला सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

(ङ) विनिर्दिष्ट समय सीमा में निर्दिष्ट स्तर न प्राप्त करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ उचित छूट के लिए रिजर्व बैंक को आवेदन करें, जिन पर मामले दर मामले के आधार पर विचार किया जाएगा।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की श्रेणी

जनता से जमा जनता से जमा राशियाँ स्वीकारने की मौजूदा सीमा राशियाँ स्वीकारने की संशोधित सीमा

परिसंपत्ति वित्त कंपनियाँ जिनका सीआरएआर 15% बना रहा है, क्रेडिट रेटिंग नहीं हैं और जिनकी निवल स्वाधिकृत निधियाँ 25 लाख रुपए से अधिक किन्तु 200 लाख रुपए से कम हैं।

निवल स्वाधिकृत निधियों का डेढ़ गुना या 10 करोड़ रुपए जो भी कम हो।

परिसंपत्ति वित्त कंपनियाँ जिनका सीआरएआर 12% बना रहा है, न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग है और जिनकी निवल स्वाधिकृत निधियाँ 25 लाख रुपए से अधिक किन्तु 200 लाख रुपए से कम हैं।

निवल स्वाधिकृत निधियों का चार निधियों के डेढ़ गुना।

ऋण/निवेश कंपनियाँ जिनका सीआरएआर 15% बना रहा है, न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग है और जिनकी निवल स्वाधिकृत निधियाँ 25 लाख रुपए से अधिक किन्तु 200 लाख रुपए से कम हैं।

निवल स्वाधिकृत निधियों का डेढ़ निधियों के बराबर। गुना।

एएफसी-परिसंपत्ति वित्त कंपनियाँ, एलसी-ऋण कंपनियाँ, आइसी-निवेश कंपनियाँ।

ग्राहक सेवा

दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधाएं

बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे तृतीय पक्षकार चेक सहित चेक बुक सुविधा, एटीएम सुविधा, नेट बैंकिंग सुविधा, फुटकर ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि जैसी सभी बैंकिंग सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के दृष्टिहीन व्यक्तियों को समान रूप से दी जाती हैं। बैंकों को अपनी सभी शाखाओं को भी सूचित करना चाहिए कि वे विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने में दृष्टिहीन व्यक्तियों को हर संभव सहायता प्रदान करें।